कार्यालय मुख्य वनसंरक्षक बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर (छ.ग.)

सिंधी कॉलोनी, जरहाभाठा, बिलासपुर (छ.ग.) पिन कोड–495001

फोन : 07752–227624, फैक्स : 07752–221385 E-mail : cfbilaspur@rediffmail.com

क्रमांक/तक/ 127 **बिलासपुर/दिनांक** -24-01-18

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) एवं,

नोडल अधिकारी, व.सं.अ.–1980,

रायपुर, छत्तीसगढ़।

विषय :– रायगढ़ जिले के रायगढ़ वनमण्डल अंतर्गत बरोद (विस्तार) एक्सपेंशन 3 एम.टी. वाय खुली खदान कोयला उत्खनन हेतु 238.373 हे. वन एवं राजस्व वनभूमि मुख्य महाप्रबंधक एस.ई.सी.एल. रायगढ़ को उपयोग पर देने के पंजीयन बाबत्।

पंजीयन कोड क्रमांक FP/CG/MIN/2013/06

संदर्भ :– आपका ज्ञा.क्रं./खनिज/829 दिनांक 23.02.2013, वनमण्डलाधिकारी रायगढ़ का पत्र क्र. /तक. 1940 दिनांक 30.11.2017 एवं 56 दिनांक 15.01.2018

––00––

विषयांकित प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम–1980, के दिशा निर्देशों तथा नवीन चेक लिस्ट के अनुसार, वनमण्डलाधिकारी रायगढ़ से अनुशंसा उपरांत, संदर्भित ज्ञापन से इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है। उक्त प्राप्त प्रस्ताव का इस कार्यालय के परीक्षण उपरांत, प्रस्ताव का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :–

1. आवेदनकर्ता महाप्रबंधक, साउथ ईस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड, रायगढ़ क्षेत्र, जिला रायगढ़, द्वारा रायगढ़ जिले के रायगढ़ वनमण्डल में संरक्षित वन 8.960 हे., राजस्व वन 229.413 हे. की कुल 238.373 हे. की मांग कोयला उत्खनन परियोजना हेतु की गई है।

2. आवेदनकर्ता द्वारा, प्रस्ताव में शासन आदेशानुसार, पंजीयन एवं प्रोसेसिंग शुल्क हेतु 64000/– रूपये जमा कराये गये है।

3. Diversion हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का घनत्व 0.1 से 0.6 तक है एवं इसमें मिश्रित प्रजाति के वृक्ष खड़े है एवं वन की ***Site Quality - IV(B)*** है।

4. व्यपवर्तन (Diversion) हेतु प्रस्तावित वन भूमि का मुख्य वन संरक्षक / वनमण्डलाधिकारी का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है। निरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार : –

   (i) प्रस्तावित कोयला खदान के लिज सीमा में गुगल मेप मे दिये गये अक्षांश देशांश के अनुसार कुरकीट नदी प्रभावित हो रहा है, कुरकीट नदी का प्राकृतिक जलश्रोत कोयला खदान से प्रभावित होगा। अतः कोयला खदान के आवेदित वनभूमि में संशोधन की आवश्यकता है। इस संबंध में निर्धारित प्रपत्र भाग–3 में विशेष टीप संलग्न है, तदानुसार कार्यवाही करना प्रस्तावित है।

(ii) प्रस्तावित गैर वानिकी कार्य कोयला उत्खनन हेतु मांग की जा रही वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई भी गैर वन भूमि विकल्प के रूप में उपलब्ध नही है।

(iii) व्यपवर्तन (Diversion) हेतु प्रस्तावित वन भूमि की मांग न्यूनतम है।

5. प्रस्तावित परियोजना के क्रियान्वयन हेतु, संबंधित ग्राम पंचायतों के अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।

6. प्रकरण में प्रभावित वन भूमि के बदले में नारंगी वनखण्ड में दुगने बिगड़े वनक्षेत्र में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित किया गया है।

7. वैकल्पिक वृक्षारोपण चयनित नारंगी वन भूमि की वृक्षारोपण हेतु उपयुक्ता का वनमण्डलाधिकारी बस्तर वनमण्डल, जगदलपुर का प्रमाण पत्र एवं साथ ही इस नारंगी वन भूमि पर स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना रूपये 600222/– प्रति हेक्टेयर की दर से तैयार कर संलग्न है।

8. Diversion हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र के आसपास कोई ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मुर्ति न होने संबंधी वनमण्डलाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न है।

9. परियोजना का Cost Benefit Analysis नवीन प्रपत्र में संलग्न है। काष्ठ बेनिफिट 1:18.06 है।

10. प्रस्तावित गैर वानिकी परियोजना में आवेदनकर्ता द्वारा संरक्षण अधिनियम, 1980 के नियम 3B का उल्लंघन नहीं किया है।

11. आवेदित क्षेत्र में Ecological Sensitive क्षेत्र (Biosphere Reserve, आदिवासी सैटलमेंट, धार्मिक स्थल) की सीमा के 10 वर्ग कि.मी. के अंतर्गत नहीं है। आवेदित क्षेत्र में कुरकीट नदी स्थित है जो कि सीमा के 10 वर्ग कि.मी. के अंतर्गत आता है, वनमण्डलाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न है।

12. आवेदित वन भूमि किसी उद्यान एवं किसी वन्य प्राणी अभ्यारण्य का भाग नहीं है एवं आवेदित वन भूमि की सीमा से 10 वर्ग कि.मी. की परिधि में कोई संरक्षित वन क्षेत्र नहीं है। वनमण्डलाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न है।

13. आवेदक द्वारा शासन निर्देशानुसार 238.373 हे. वन भूमि की इको क्लास – ***III*** एवं घनत्व 0.1 से 0.6 तक है। जिसके लिए शासन द्वारा निर्धारित दर से प्रत्याशा मूल्य (NPV) जमा करने हेतु वचन पत्र दिया है।

14. मिश्रित रोपण योजना के क्रियान्वयन हेतु आवेदनकर्ता का वचन पत्र संलग्न है।

15. आवेदित गैर वानिकी परियोजना पर पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यवाही आवेदक संस्थान के द्वारा की जा रही है।

16. पूर्व में स्वीकृत 123.899 हे. खदान में 114.75 हे. लक्ष्य के विरूद्ध 100.17 हे. में रिक्लीमेशन कार्य किया गया है, रिक्लीमेशन कार्य की वर्षवार प्रगति संलग्न है।

क्षेत्र परीक्षण में पाया गया कि, प्रस्तावित वन कक्ष के समीप में हाथी विचरण वर्ष में 4–5 दिन तक पाया गया है, अर्थात प्रस्तावित खदान के सीमा से 10 कि.मी. परिधि के अंतर्गत हाथी विचरण क्षेत्र स्थित है। प्रस्तावित खनि क्षेत्र के के.एम.एल. फाईल द्वारा तैयार किये गये नक्शे का अवलोकन करने पर यह ज्ञात होता है कि, खनि क्षेत्र के बाये तरफ कुरकीट नदी के सीमा पर जी.पी.एस. कोआर्डीनेट किया गया है, इस प्रकार प्रस्तावित क्षेत्र में खनन करने पर उक्त नदी की सीमा प्रभावित होना तथा नदी के जल प्रवाह प्रभावित होने की संभावना है । इस प्रकार कुरकीट नदी केलो नदी में जाकर समाहित होती है एवं केलो नदी आगे जाकर माण्ड नदी में समाहित हो जाती है, जल प्रवाह प्रभावित होने की स्थिति में खनन क्षेत्र के समीप विचरण करने वाले हाथी पर भी प्रभाव पड़ेगा । अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर क्षेत्र के वन्यप्राणी तथा क्षेत्र जल संसाधन, जल ग्रहण क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रखते हुए विस्तृत अध्ययन कर उचित निर्णय लिया जाना आवश्यक है।

अनुशंसित प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम 1980 के मार्गदर्शिका सिद्धांतों के अनुरूप सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर Diversion प्रस्ताव भारत सरकार से प्रथम चरण स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव 4 प्रतियों में संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :– प्रस्ताव 4 प्रतियों में।

मुख्य वन संरक्षक
बिलासपुर वृत्त बिलासपुर

पृ.क्र. /तक./ 128 **बिलासपुर, दिनांक**.....24-01-18

प्रतिलिपि :–

1. वनमण्डलाधिकारी, रायगढ़ वनमण्डल, रायगढ़ (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ अग्रेसित।
2. आवेदनकर्ता महाप्रबंधक, साउथ ईस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड, रायगढ़ क्षेत्र रायगढ़, जिला रायगढ़ की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य वन संरक्षक
बिलासपुर वृत्त बिलासपुर

मुख्य वनसंरक्षक अधिनियम, 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव

(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)
भाग–3
(संबंधित वनसंरक्षक द्वारा भरा जाना है)

---

14. स्थल जहां की वन भूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित मुख्य वनसंरक्षक ने निरीक्षण किया है। (हॉ/नही) यदि हॉ तो निरीक्षण की तारीख और किए गए प्रक्षेणों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें। **आवेदनकर्ता महाप्रबंधक, साउथ ईस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड, रायगढ़ क्षेत्र रायगढ़, जिला रायगढ़, द्वारा रायगढ़ जिले के रायगढ़ वनमण्डल में संरक्षित वन 8.960 हे., राजस्व वन 229.413 हे. की कुल 238.373 हे. आवेदित वनभूमि का स्थल निरीक्षण दिनांक 09.12.2017 को किया गया है।**

15. क्या संबंधित मुख्य वनसंरक्षक भाग (ख) में दी गई सूचना और उप वनसंरक्षक के सुझावों से सहमत है।

हाँ।

16. प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित मुख्य वनसंरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।

एस.ई.सी.एल.के बरौद खदान हेतु प्रस्तावित वनभूमि रायगढ़ वनमण्डल के घरघोड़ा परिक्षेत्र के कक्ष क्रं. P1286 संरक्षित वन 8.960 हे. एवं राजस्व वनक्षेत्र 229.413हे. कुल 238.373 हे. है। उक्त वनक्षेत्र में मुख्य रूप से मिश्रित प्रजाति उपलब्ध है, उक्त क्षेत्र में 0.4 से कम घनत्व के वनसस्य उपलब्ध है –

प्रस्तावित वन कक्ष के समीप में हाथी विचरण वर्ष में 01–02 माह तक पाया गया है, अर्थात प्रस्तावित खदान के सीमा से 10 कि.मी. परिधी के अंतर्गत हाथी विचरण क्षेत्र स्थित है। प्रस्तावित वनक्षेत्र में वनक्षेत्र से समिपस्थ ग्रामीणों द्वारा तेन्दूपत्ता संग्रहण तथा अन्य लघुवनोपज नियमित रूप से एकत्रित कर आय प्राप्त की जाती है।

प्रस्तावित खनि क्षेत्रं के के.एम.एल. फाईल द्वारा तैयार किये गये नक्शे का अवलोकन करने पर यह ज्ञात होता है कि, खनि क्षेत्र के बाये तरफ कुरकीट नदी के सीमा पर जी.पी.एस. कोआर्डीनेट किया गया है, इस प्रकार प्रस्तावित क्षेत्र में खनन करने पर उक्त नदी की सीमा प्रभावित होना तथा नदी के जल प्रवाह प्रभावित होने की संभावना है । इस प्रकार कुरकीट नदी केलो नदी में जाकर समाहित होती है एवं केलो नदी आगे जाकर माण्ड नदी में समाहित हो जाती है, जल प्रवाह प्रभावित होने की स्थिति में खनन क्षेत्र के समीप विचरण करने वाले हाथी पर भी प्रभाव पड़ेगा । अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर क्षेत्र के वन्यप्राणी तथा क्षेत्र जल संसाधन, जल ग्रहण क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रखते हुए विस्तृत अध्ययन कर उचित निर्णय लिया जाना आवश्यक है।

मुख्य वन संरक्षक
बिलासपुर वृत्त बिलासपुर